रजिस्ट्रेशन नं. : 348/2017 5867

"निकाह, तलाक एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की विधिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,

आगरा को

कानून में विद्या वाचस्पति की उपाधि के निमित्त प्रस्तुत शोध की

नयी रूपरेखा

2017

शोध निर्देशकः

डॉ0 उमेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

शोधार्थीः

जगदीश प्रसाद

विधि विभाग,

आगरा कॉलेज, आगरा

निकाह, तलाक एवं भरण पोषण के सम्बन्ध में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की विधिक स्थिति का विश्लेशणात्मक अध्ययन।

परिचय

प्रत्येक समाज की अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्औतिक विशिष्टताऐं होती हैं जो उन्हें पैतृक रूप से प्राप्त होती हैं। ये विशिष्टताऐं कुछ मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित होती है, जिनसे उस समाज के दृष्टिकोण तथा व्यवहारिक प्रतिमानों और विश्वासों का निर्माण होता है। ये दृष्टिकोण और व्यवहारिक प्रतिमान सदैव एक से न रहकर परिवर्तनशील होते हैं जो परिवर्तनशील समाज की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। परिवर्तन की यह अन्तरकालीन प्रक्रिया हमारे विकासशील समाज में सरलता से व्यवहारत् नहीं होती है क्योंकि सामाजिक-सांस्औतिक मूल्यों की समाज में गहरी जड़ें होती हैं।[1]

भारतीय मुस्लिम महिलाऐं आधुनिक विधि एवं विचारधारा की दृष्टि से मुख्यतः पिछड़ी हुई हैं। फलस्वरूप मुस्लिम समाज का दृष्टिकोण व व्यवहार अब भी अपरिवर्तनीय है। सरल समाजों एवं धार्मिक रूप से कट्टर समाजों में विधि का रूप परम्परागत होता है जो मुख्यतः परिवार के द्वारा दी जाती है।

[1]तरन्नुम युसुफ,*"भारतीय मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक अध्ययन"*,प्ददवअंजपअम बवदबमचज वि तमेमंतबीए टवस.2 ेनम.9 व्बजवइमत. 2017 च160

दूसरी ओर विकासशील और विकसित समाजों में विधि पूर्णतया विशेषीऔत होती है। किसी राष्ट्र को अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए समस्त समाज के तकनीकी कुशलता, ज्ञान, विशिष्ट रुचियों और मानव मूल्यों में परिवर्तन लाना होता है। यह कार्य यदि वृहद स्तर पर हिंसा रहित क्रांति द्वारा किया जाना हो तो इस हेतु केवल विधि एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रगति के वातावरण के विकास हेतु सामान्य जन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। इस परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया में बाधक पारस्परिक दृष्टिकोण को विधि ही शक्तिहीन बनाती है। तथापि यह एक विचारणीय तथ्य है कि विधि अपने आप में उतनी सशक्त नहीं होती कि वह समाज में वांछित परिवर्तन ला सके। वास्तव में जनतंत्रीय समाज में विधि वांछित सामाजिक परिवर्तन अवश्य कर सकती है क्योंकि वह विधि के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। परिवर्तन-ील विधि ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है।

इस्लाम धर्म के प्रारम्भ से पूर्व असीमित बहुपत्नीत्व की प्रथा थी । इस्लाम के अन्तर्गत क्रमिक सुधार के रूप में बहुपत्नीत्व को चार तक सीमित किया गया है। अरब में इस्लाम धर्म से पहले स्त्री वासना तृप्ति की वस्तु और पति की सम्पत्ति मानी जाती थी। पुरुश स्त्री को कुछ समय या सदा के लिये खरीदता था इस्लाम धर्म के प्रारम्भ के प-चात, 'हेदाया' के अनुसार ''विवाह एक विधिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्त्री और पुरुश के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्णतया वैध और मान्य होते है। असहाबा का कथन है कि ''विवाह स्त्री और पुरूश की ओर से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थायी सम्बन्ध में अन्तर्निहित संविदा है''।

विवाह के उद्दे-य

'तिरमिजी' विवाह के पाँच उद्दे-य का उल्लेख करते हैं-

1. कामवासना का नियमन

2. गृहस्थ जीवन का नियमन

3. वं-ा की वृद्धि

4. पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम

5. सदाची बच्चों का पालन

'हेदया' के अनुसार "विवाह के उद्दे-य-(1) समागम, (2) संगति, (3) समान हितेच्छा है। परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिश्टा के लिये करना चाहिये।" (तिरमीजी)

भरण-पोशण

''अल्लाह का आदे-ा है कि तू अपने माता-पिता के प्रति दयावान रह, यदि उनमें से कोई एक या दोनों तेरे साथ रहते हुए बहुत वृद्ध हो जाये। इसलिये उनसे यह न कह कि तुम्हें अधिकार है, न ही उनका तिरस्कार कर बल्कि उनसे सम्मान के साथ बोल और उनके साथ मृदु एवं नम्रता से व्यवहार कर और कह कि ''ऐ खुदा, उन दोनों पर औपा रख, क्योंकि उन्होनें मुझे बाल्यकाल से पाला-पोसा है और जो तेरे कुटुम्बी हैं, उनके प्रति अपने उचित कर्तव्य का पालन कर''[2]

जहाँ तक भारत में रहने वाले मुसलमानों पर भरण-पोशण की विधि लागू होने का प्र-न है, वे लोग दो प्रकार की विधियों से प्र-ाासित होते हैं। प्रथम प्रकार की विधि वह है जो कि व्यक्तिगत विधि के नाम से जानी जाती है। दूसरे प्रकार की विधि के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 एवं उससे सम्बन्धित धारायें आती हैं।[3]

---

[2] कुरान, अध्याय 17

[3]अहमद, "मुस्लिम विधि", सेंट्रल लॉ एजेंसी, २०१५

भरण-पोशण का अरबी पर्याय 'नफ़क' है, जिसका :ाब्दिक अर्थ है- ''जो कुछ व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करे। विधिक भाव में भरण-पोशण तीन बातों का संकेत है 1 भोजन, 2 वस्त्र और 3 निवास स्थान।'' फतवा-ए-आलमगीरी कहती है कि भरण-पोशण का अर्थ भोजन, वस्त्र और निवास स्थान होता है यद्यपि सामान्य अर्थ में इसका अर्थ भोजन तक ही सीमित है।[4]

पत्नी विवाह कायम रहने के दौरानः- पति अपनी पत्नी का भरण-पोशण करने के लिये बाध्य है । पति का पत्नी को भरण-पोशण प्रदान करने का दायित्व उस समय प्रारम्भ होता है जबकि पत्नी यौवनावस्था को प्राप्त हो जाती है, इसके पहले नही। पत्नी पति से भरण-पोशण पाने की अधिकारिणी है, भले ही वह सम्पन्न हो और पति गरीब। पत्नी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या रोगी, युवा हो या वृद्ध, वह सभी अवस्थाओं में पति से भरण-पोशण पाने की हकदार है। पति द्वारा भरण-पोशण का करार न करने पर भी वह भरण-पोशण प्रदान करने के लिये बाध्य है। इस स्थिति में उसका भरण-पोशण का अधिकार निरपेक्ष है। यदि पत्नी के पास निजी सम्पति या आमदनी हो तो भी उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है। इसके अतिरिक्त वह उसे करार किये हुए अन्य खर्च जैसे खर्च-ए-पानदान, गुजारा, मेवाखोरी आदि भी देने के लिये बाध्य है यद्यपि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, पति एक से अधिक पत्नियाँ एक साथ रखने के लिये स्वतन्त्र है, यदि वह दूसरा विवाह करता है तो प्रथम पत्नी भरण-पोशण एवं पृथक निवास के लिये दावा करने की हकदार है[5]। **चाँद पटेल बनाम विस्मिल्लाह बेगम[6]** के वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्र-न यह था कि क्या

---

[4] फतवा-ए- आलमगीरी भाग 1, 732.

[5] सायरा बानू बनाम अब्दुल गफूर ए0 आइ0 आर0 1987 सु0 को0 1103,

[6];2008द्ध 4 सु0 को0 केसेज 774

एक पत्नी स्वयं अपने और अपनी अवयस्क पुत्री के लिए, जबकि उसका विवाह अनियमित है, भरण-पोशण की हकदार है।

मोहम्मद अहमद खाँ बनाम ःाहबानों बेगम[7] के वाद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अन्तर्गत एक तलाक-ुदा महिला द्वारा भरण-पोशण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी का विवाह सन् 1932 में प्रत्यर्थी के साथ हुआ था। उसके तीन पुत्र और पुत्रियाँ थी। सन् 1975 में अपीलार्थी (पति) ने प्रत्यर्थी (पत्नी) को उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया। सन् 1978 में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण-पोशण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसके कुछ माह बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष तलाक दे दिया। अपीलार्थी का कथन था कि प्रत्यर्थी उसकी पत्नी नहीं रही, क्योंकि उसने तलाक दे दिया है इसलिये प्रत्यर्थी का भरण-पोशण करने का कोई अधिकार नहीं है। वह प्रत्यर्थी को लगभग 2 वर्शों तक 200 रुपये माहवार भरण-पोशण के लिये देता रहा। तथा इधत की अवधि में मेहर के रूप में 3000 रूपये न्यायालय में जमा करा दिये। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को 25 रुपये माहवार भरण-पोशण हेतु देने का निर्णय दिया। प्रत्यर्थी का कहना था कि अपीलार्थी को व्यवसाय से करीब 60000 रुपये वार्शिक की आमदनी होती है। प्रत्यर्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किये जाने पर म°प्र° उच्च न्यायालय ने भरण-पोशण की रा-ि बढ़ाकर 170.20 रुपये प्रतिमाह कर दिया। इसके विरुद्ध पति ने वि-ोश अनुमति प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्र-न यह था कि क्या मुस्लिम विधि तलाक-ुदा पत्नी के भरण-पोशण के लिये पति पर कोई उत्तरदायित्व नहीं डालती।

---

[7] ए0 आइ0 आर0 1985 सु0 को0 945

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पति को यह वि-ोश अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को उचित-अनुचित या बिना कारण के जब भी वह चाहे त्याग दे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा-125(1) दं.प्र.सं. के स्पश्टीकरण के उपखण्ड (ख) के द्वारा पत्नी के अन्तर्गत तलाक-ुदा स्त्री, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है :ाामिल है। इसलिये ऐसी तलाक-ुदा पत्नी, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। इधत की अवधि के प-चात भी अपने पूर्व पति से भरण-पोशण प्राप्त करने की हकदार है। यह उपबन्ध बिल्कुल स्पश्ट है और इसमें कोई सन्देह नहीं है। इन उपबन्धों में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि पति-पत्नी का धर्म कौन सा है। धारा-125 दं.प्र.सं. ऐसे लोगों के लिये जो अपना भरण-पोशण करने के लिये असमर्थ हैं, :ाीध्र उपचार कराने हेतु बनायी गयी है। ऐसे उपबन्ध जो कि निरोधात्मक स्वरूप के हैं, धर्म के बन्धनों को काटते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा-125 दं. प्र.सं. के अधीन डाला गया उत्तरदायित्व धर्म के साथ नही जोड़ा जा सकता। धारा-125 (1) दं.प्र.सं. के स्पश्टीकरण के खण्ड (ख) में ऐसा कोई :ाब्द नहीं है जिसके कारण मुस्लिम महिला को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाय। धारा-125 दं.प्र.सं. वास्तव में धर्म निरपेक्ष है।

:ााहबानो बेगम के मामले में दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कट्टर और प्रतिक्रियावादी मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया और आवाज उठायी कि यह निर्णय उनके धर्म (-ारीयत) के प्रतिकूल है। कट्टरपन्थी मुसलमानों के अनुसार पति तलाक-ुदा पत्नी को इधत की अवधि के प-चात भरण-पोशण देने के लिये बाध्य नहीं है। **सैयद फजल बनाम भारत संघ[8],** के वाद में करेल उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 की धारा-4(2) के अन्तर्गत राज्य वक्फ बोर्ड की एक विधवा मुस्लिम स्त्री को भरण-पोशण का आदे-ा दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा

[8] ए0 आइ0 आर0 1993 केरल 308

कि यदि कोई मुस्लिम विधवा अपना भरण-पोशण करने में अक्षम है और उसके पास कोई साधन भी नहीं है अथवा उसका कोई सम्बन्धी उसे भरण-पोशण देने को राजी नहीं है या सक्षम नहीं है तब वक्फ अधिनियम 1954 की धारा-9 के अन्तर्गत स्थापित वक्फ बोर्ड का यह दायित्व है कि वह ऐसी स्त्री को भरण-पोशण प्रदान करें इसमें संविधान के अनुच्छेद-26 का उल्लघन नहीं होता ।

तलाक (विवाह-विच्छेद)-

मुस्लिम विधि के लगभग सभी विद्वान तलाक को उचित मानते हैं, किन्तु उसके अकारण प्रयोग को वे नैतिकता और धर्म की दृश्टि से जघन्य समझते हैं। पैगम्बर **मोहम्मद साहब** का कथन है कि ''जो मनमानी रीति से पत्नी को अस्वीकार करता है वह खुदा के :ाप का पात्र होता है।'' अपने अन्तिम समय के निकट उन्होनें बिना पंच या न्यायाधी-ा के हस्तक्षेप के पुरुशों द्वारा तलाक के प्रयोग को ही एक प्रकार से लगभग वर्जित सा कर दिया था। इस सम्बन्ध में कुरान में लिखा है कि ''यदि उनके मध्य वैवाहिक सम्बन्ध के भंग की आ-ांका हो तो एक निर्णायक, पति के पक्ष से और एक, पत्नी के पक्ष से नियुक्त करो। इस प्रकार यदि वे अपने सम्बन्ध सुधारना चाहेंगे, तो अल्लाह उन्हें (पति-पत्नी को) एकमत कर देगा।''[9]

सामान्यतया विवाह संविदा के दोनों पक्षकारों को विवाह-विच्छेद का विकल्प प्राप्त होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में पत्नी से कहीं अधिक पति को अधिकार है पति स्वेच्छा से किसी समय विवाह-बन्धन तोड़ सकता है एक दूसरे की सहमति से भी विवाह-विच्छेद हो सकता है, परन्तु मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 से पूर्व पत्नी, पति की मर्जी के बिना विवाह-विच्छेद नहीं कर सकती थी। परन्तु वह नि:सन्देह ही अपने पति से तलाक क्रय कर सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस्लामिक विधि का

[9]अकील अहमद, *मुस्लिम विधि*, पुनः मुद्रित २०१५ संशोधन कर्ता प्रो. इकबाल अली खां

सबसे बड़ा दुर्गुण पति द्वारा बिना कारण के अपनी पत्नी को तलाक देने सम्बन्धी अधिकार का है मेहर कुछ सीमा तक पति द्वारा तलाक दिये जाने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है परन्तु अनुभव यह कहता है कि महिलाओं को जितनी हानि पतियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तलाक देने से नहीं है उससे अधिक हानि तलाक न देने से होती है ऐसी परिस्थितियों में पत्नी को अपनी इच्छानुसार तलाक प्राप्त करने का अधिकार नि-चित रूप से पत्नी के लिये सुरक्षा प्रदान करता है। मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 के लागू होने के प-चात् पत्नी इस अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत दिये गये आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर न्यायालय से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

तिहरा तलाक (तलाक-ए-उल-बिद्दत)-

तिहरा तलाक एक मान्यता प्राप्त परन्तु अस्वीऔत तलाक का प्रकार है तथा इस्लामी विधिवेत्ताओं ने इसे :ारीयत में नवीन प्रवर्तन माना है। इसे न तो पवित्र कुरान का प्रमाण और न पवित्र पैगम्बर की स्वीऔति प्राप्त है। यह प्रथम खलीफा अबुबकर के जीवन काल में व द्वितीय खलीफा उमर के समय भी दो वर्श से अधिक समय तक प्रचलन में नहीं आया था। बाद में हजरत उमर ने कुछ वि-ोश स्थिति में इसकी अनुमति दी थी। जब अरबों ने सीरिया, मिस्र व पर्शिया आदि पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने वहाँ की स्त्रियों को अरब की स्त्रियों की तुलना में अधिक सुन्दर पाया और इसलिए उनसे विवाह करने के लिये आऔश्ट हुये। विवाह करने के लिये उन्हें अपनी मौजूदा पत्नियों को तुरन्त एक साथ तीन तलाक सुनाकर तलाक देना चाहिये। यह :ार्त अरबों ने :ाीघ्र मान ली क्योंकि वे जानते थे कि इस्लाम में तलाक दो पृथक तुहर की अवधि में केवल दो बार अनुमन्य है तथा एक साथ इसकी पुनरावृति इस्लाम के विरूद्ध है, :ाून्य है एवं प्रभावी नहीं होगा। इस तरीके से वे न केवल सुन्दर स्त्रियों से विवाह कर सके बल्कि अपनी मौजूदा पत्नियों को भी रख सके। यह तथ्य द्वितीय खलीफा हजरत उमर को सूचित किया गया। खलीफा उमर ने असंदिग्ध पति द्वारा धर्म का दुरुपयोग रोकने के लिये यह निर्णय दिया कि एक साथ :ाब्द तलाक, तलाक, तलाक की पुनरावृत्ति करने से भी विवाह अखण्डनीय भंग हो जायेगा। यद्यपि खलीफा उमर का यह प्र-ाासनिक उपाय एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये था और स्थाई कानून बनाने का उद्दे-य नहीं था परन्तु दुर्भाग्य से हनफी विधिवेत्ताओं ने बाद में द्वितीय खलीफा उमर के इस मात्र प्र-ाासनिक आदे-ा की :ाक्ति पर तलाक के इस प्रकार को न्याययुक्त घोशित किया और इसे धार्मिक मान्यता भी दी। **अहमद गिरी बनाम मु° मेद्य** के वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भारत में सबसे अधिक विवाह विच्छेद

तलाक-ए-उल-बिद्दत से किया जाता है। इस स्थिति में न्यायिक निर्वचन से कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता किन्तु यदि मुस्लिम समुदाय अपने पवित्र इस्लामी स्थिति में एक बार फिर पहुँचना चाहता है तो उसे स्वयं बैठकर यह तय करना होगा कि कैसे परिवर्तन लाया जाये। सैय्यद अमीर अली ने इस सम्बन्ध में कहा है कि या तो मुस्लिम विधायिका को प्रत्यक्ष कार्य द्वारा (अधिनियम पारित करके) ही किया जा सकता है। **मौ° इब्राहीम बनाम मेहरून्निसा बेगम**[10] के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा **:ामीम आरा** के वाद में दिये गये निर्णय की पुश्टि कर दी। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि तलाक से सम्बन्धित :ारीयत विधि में सही एवं प्रत्यक्ष कानून यह है कि तलाक किसी युत्तियुत्त कारण के आधार पर दी जानी चाहिये। तथा इससे पहले सुलह की पूरी कोि-ा कर लेनी चाहिए। इसके लिये समुदाय का एक व्यक्ति पति की तरफ से तथा एक दूसरा व्यक्ति पत्नी की ओर से पक्षकारों में सुलह कराने की कोि-ा करे। यदि यह कोि-ा असफल हो जाती है तभी तलाक प्रभावी होगा। पति का यह दावा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है न्यायालय के समक्ष पूर्णतः सिद्ध होना चाहिये यदि पति अपने इस कथन को सिद्ध नहीं कर पाता है तो फैमिली कोर्ट को यह अधिकार है कि वह इस तलाक को नकार दे।[11]

[10] ए0 आइ0 आर0 2004 कर्नाटक 261.

[11]अकील अहमद, *मुस्लिम विधि*, पुनः मुद्रित २०१५ संशोधन कर्ता प्रो. इकबाल अली खां

संवैधानिक खंडपीठ-

न्यायपीठ, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डी.वाय. चंद्रचूड़ को शामिल करते हुए एक पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक खंडपीठ स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे, जिनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के कुछ भाग संविधान के खिलाफ हैं या नहीं। जो तीन तलाक के मामले की जांच कर रहे थे और 22 अगस्त 2017, **:ायराबानो बनाम भारत संघ एंव अन्य**[12] में इस सन्दर्भ में अपना फैसला सुनाया था, उन्होंने बहुनिकाह और 'निकाह हलाला' के मुद्दे को जस का तस छोड़ रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कानून आयोग के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे अनुरोध किया है कि वे इन दोनों मामलों की याचिकाओं को समाप्त करने के लिए अपना स्पष्टीकरण दें। बहुनिकाह एक से अधिक महिला से निकाह करने की प्रथा है। निकाह हलाला तलाक को रोकने के लिए एक अभ्यास है, इसके तहत यदि किसी महिला को उसका शौहर तलाक दे देता है और उसके बाद उसी शौहर से दोबारा निकाह करना हो तो उसके लिये पहले महिला को एक अन्य व्यक्ति से निकाह करके उस अन्य व्यक्ति से तलाक लेना होगा। उसके बाद ही महिला का पूर्व शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐप्लिकेशन ऐक्ट 1937 की धारा-2 निकाह हलाला और बहुनिकाह को मान्यता देता है और यह संविधान के अनुच्छेद-14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है, लिहाजा इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए। भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू हों। इसके अलावा, एक याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि मुस्लिम कानून में एक व्यक्ति को अस्थायी निकाह या बहुनिकाह के जरिए कई पत्नियों को रखने

[12] 2017 रिट सं. ;सिविलब्ध118ध्2016

की इजाजत दी गयी है, वहीं महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं दी गयी है और इसलिए यह कानून मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में बहुनिकाह, निकाह हलाला, निकला उतरा और निकाह मिसरा की प्रचलित प्रथाओं की संवैधानिक वैधता पर गौर करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक पीठ ने केंद्र और कानून मंत्रालय को याचिका दायर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें दावा करने वाली प्रथाओं को चुनौती दी गई है जिससे वे पुरुषों की तुलना में महिलाओं को नीचा देखते हैं। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एक पुरुष को चार पत्नियों तक शादी करने की इजाजत दे दी है, जिसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को पुरुषों की चल सम्पत्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है। हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर याचिका में कहा कि यह प्रथा 'स्थिति की समानता के मूल आदर्शों को अपमानित करती है' और बहुनिकाह को रद्द करने की मांग की। एक अन्य याचिका दिल्ली की एक महिला ने दायर की थी। महिला ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भा.दं.सं. की धारा-494 जो कि पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करने की सजा का प्रावधान करता है तथा असंवैधानिक है। उसकी याचिका में यह भी दावा किया गया था कि मुस्लिम पत्नी को अपने पति के खिलाफ द्विनिकाह अपराध के लिए शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता है।

अध्ययन की आव-यकता-

सम्बन्धित विशय पर अध्ययन की आव-यकता के निम्नलिखित कारण हैं-

1. मुस्लिम महिलाओं के अधिकार एवं भारत में रहने वाले अन्य सम्प्रदायों की महिलाओं की तुलना में काफी कम होना।

2. मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकार न मिलने के पीछे उपर्युक्त कारणों एवं तथ्यों का पता लगाना।

3. महिलाओं के अधिकारों के असमानता के सम्बन्ध में भारत की विद्यायिका की उदासीनता।

4. मुस्लिम महिलाओं के विवाह, विवाह-विच्छेद एवं भरण-पोशण के अधिकारों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की सक्रिय भूमिका का अध्ययन एवं निर्णय के प्रवर्तन करने की नीतियों का प्रभावी तरह से लागू न किया जाना।

5. विवाह, विवाह-विच्छेद एवं भरण-पोशण के सम्बन्ध में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की विधिक एवं सामाजिक स्थिति का दयनीय होना।

शोध उद्दे-यः-

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों को दो भागों में वर्णित कर अध्ययन किया जायेगा।

(1) **मुख्य उद्देश्य** - निकाह, तलाक एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की विधिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

(2) **गौण उद्देश्य** -

1. भारतीय मुस्लिम महिलाओं के निकाह सम्बन्धी विधि, न्यायिक निर्णयों व विधायिका में पारित कानूनों व अध्यादे-शों का अध्ययन।

2. भारतीय मुस्लिम महिलाओं के सन्दर्भ में प्रचलित तलाक सम्बन्धी विधि एवं न्यायिक निर्णयों व विधायिका में पारित कानूनों व अध्यादे-शों का अध्ययन।

3. भारतीय मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोशण सम्बन्धी विधि, न्यायिक निर्णयों व विधायिका में पारित कानूनों एवं अध्यादे-शों का अध्ययन।

4. भारतीय मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त निकाह, तलाक एवं भरण-पोशण सम्बन्धी अधिकारों, उनके संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का अध्ययन।

शोध प्रक्रिया-

प्रस्तुत शोध समस्या के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सैद्धान्तिक शोध विधि का प्रयोग किया जायेगा। सम्बन्धित आकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, इन्टरनेट पर उलब्ध पाठ्य सामग्री से किया जायेगा साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दिए गए निर्णयों, भारतीय विधायिका में पारित अधिनियमों, परिनियमों, नियमों व अध्यादेशों को भी शोध का आधार बनाया जायेगा।

:ोध अध्ययन का सीमांकनः-

- प्रस्तुत शोध केवल भारतीय मुस्लिम महिलाओं के निकाह, तलाक एवं भरण-पोशण तक ही सीमित रहेगा।
- :ोध से सम्बन्धित सूचनाओं व आंकड़ों का आधार भारतीय न्यायपालिका एवं विधायिका में पारित निर्णयों, अधिनियमों, नियमों, परिनियमों व अध्यादे-ों को बनाया जायेगा।

:ोध के प्रस्तावित अध्यायः-

अध्याय	**शीर्षक**
प्रथम्-	प्रस्तावना
द्वितीय-	सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

तृतीय- मुस्लिम महिलाओं के निकाह, तलाक एवं भरण-पोशण के सन्दर्भ में न्यायपालिका की भूमिका

चतुर्थ- मुस्लिम महिलाओं के निकाह, तलाक एवं भरण-पोशण के सन्दर्भ में विधायिका की भूमिका

पंचम् - निकाह, तलाक एवं भरण-पोशण के सन्दर्भ मे भारतीय मुस्लिम महिलाओं की विधिक स्थिति का वि-लेशण

ृाश्ठम् - :ाोध निश्कर्ष एवं भावी :ाोध हेतु सुझाव

सप्तम्- सन्दर्भ ग्रंथ सूची

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- डा° आर° के° सिन्हा, *मुस्लिम विधि,* 6वॉ संस्करण, 2009 सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
- ऍम. हिदायतुल्लाह एंड अरशद हिदायतुल्लाह : *मुल्लाज् प्रिसिप्लेस ऑफ़ मोहमडन लॉ* (१९वां संस्करण), २०१०
- परस दीवान, *मुस्लिम लॉ इन मॉडर्न इंडिया*
- आर. के. सिंह, *टेक्स्ट बुक ओन मुस्लिम लॉ,* २०११ एडिशन
- सयैद खालिद राशिद: *मिस्लिम लॉ*, ५ वां संस्करण रिवाइज्ड बाई वी. पी॰ भारतीय.
- ताहिर मोहम्मद, *मुस्लिम लॉ इन इंडिया,* १९८२

- ❖ ऍफ़. बी. त्याबजी *मोहम्मडन लॉ (३ वां संसकरण) १९४०*
- ❖ अकील अहमद, “मुस्लिम विधि”, सेंट्रल लॉ एजेंसी, २०१५
- ❖ भट्टी–जरीना–*स्टेट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एण्ड सो-ल चेन्च* (1990) न्यू देहली रेडियन्ट पब्लिशर्स,
- ❖ कुमार राधा–स्त्री *संघर्श का इतिहास* (वाणी प्रका-ान नई दिल्ली 2002)
- ❖ आहूजा राम, *क्राइम अगेन्सट वुमेन* (जयपुर रावत पब्लिके-ान 1987)
- ❖ :ाहीद मुर्तजा, *इस्लाम मे नारी का अधिकार।*

महत्वपूर्ण निर्णयः–

- मो° अहमद खान बनाम :ााहबानों वेगम एवं अन्य ;1985ै ब ;3द्ध 8440द्ध
- अहमदबाद वुमेन एक-ान ग्रुप ;ॅ।ळद्ध बनाम भारत संघ ; ।प्त1997द्ध 3ै ब्ब573
- डेनियल लतिफी एवं अन्य बनाम भारत संघ ;2001द्ध 7ै ब्ब 740
- :ाामीम द्वारा बनाम उत्तर प्रदे-ा राज्य ;ड ।छन्ैब्ध्0850ध्2002द्ध
- :ाायराबानो बनाम भारत संघ एंव अन्य ;2017द्ध ;रिट सं.118 व 2016द्ध
- सैयद फजल बनाम भारत संघ, ए0 आइ0 आर0 1993 केरल 308
- मौ° इब्राहीम बनाम मेहरून्निसा बेगम, ए0 आइ0 आर0 2004 कर्नाटक 261

- चाँद पटेल बनाम विस्मिल्लाह बेगम, ;2008द्ध 4 सु0 को0 केसेज 774